ई-मेल/स्पीड पोस्ट द्वारा

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं.23/2020-ईआरएस दिनांक: 7 अगस्त, 2020

सेवा में

सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी
(बिहार, हरियाणा, महाराष्ट्र और जम्मू व कश्मीर, लद्दाख केन्द्र शासित प्रदेशों को छोड़कर)

विषय: अर्हक तारीख के रूप में 01.01.2021 के संदर्भ में फोटो निर्वाचक नामावलियों का विशेष सार पुनरीक्षण-कार्यक्रम-तत्संबंधी।

महोदय/महोदया

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मौजूदा नीति के अनुसार, अर्हक तारीख के रूप में आगामी वर्ष की 1 जनवरी के संदर्भ में निर्वाचन नामावलियों का पुनरीक्षण सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में प्रत्येक वर्ष की उत्तरवर्ती अवधि (सामान्य रूप से वर्ष की अंतिम तिमाही में) में किया जाता है ताकि निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन अनुवर्ती वर्ष के जनवरी माह के प्रथम सप्ताह में किया जा सके। पुनरीक्षण कार्यक्रम इस ढंग से तैयार किया जाता है कि निर्वाचक नामावलियां राष्ट्रीय मतदाता दिवस (प्रतिवर्ष की 25 जनवरी) से काफी पहले अंतिम रूप से प्रकाशित कर दी जाएं ताकि नव निर्वाचकों, विशेषतौर पर युवा मतदाताओं (18-19 वर्ष) के लिए तैयार किए गए एपिक राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर उन्हें औपचारिक ढंग से वितरित किए जा सकें। आयोग ने सभी पक्षों पर विचार करते हुए सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों (बिहार, हरियाणा, महाराष्ट्र और जम्मू व कश्मीर, लद्दाख केन्द्र शासित प्रदेशों को छोड़कर) में अर्हक तारीख के रूप में दिनांक 01-01-2021 से निम्नलिखित तालिका के अनुसार फोटो निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण आरंभ करने का निदेश दिया है:-

क्र. सं.	कार्यकलाप	अवधि
पूर्व पुनरीक्षण कार्यकलाप:		
1.	(क)मतदान केंद्रों का युक्तिकरण/पुनर्व्यवस्था करना। (ख) डीएसई और एपिक, की त्रुटियों का निराकरण (भाग के अंदर डीएसई को 31.08.2020 तक हटाना है)। (ग) अनुभाग/भागों का पुनर्विकास और मतदान केंद्रों के अनुभाग/भाग की सीमाओं के प्रस्तावित पुनर्गठन को अंतिम रूप देना और मतदान	10.08.2020 (सोमवार) से 31.10.2020 (शनिवार) तक

	केन्द्रों की सूची का अनुमोदन प्राप्त करना।	
2.	(क)प्रारूप 1 से 8 तक तैयार करना (ख) पूरक और समेकित प्रारूप नामावली की तैयारी	01.11.2020 (रविवार) से 15.11.2020 (रविवार) तक
पुनरीक्षण कार्यकलाप		
3.	समेकित प्रारूप निर्वाचक नामावली का प्रकाशन	16.11.2020 (सोमवार)
4.	दावों और आपत्तियों को दायर करने की अवधि	16.11.2020 (सेमवार) से 15.12.2020 (मंगलवार) तक
5.	विशेष अभियान की तारीखें	सीईओ द्वारा निर्धारित किए जाने वाले दावों और आपत्तियों की अवधि के भीतर दो शनिवार और रविवार
6.	दावों एवं आपत्तियों का निपटान	05.01.2021 (मंगलवार) तक
7.	(क) दुरूस्तता संबंधी मानदंडों की जांच करना और अंतिम प्रकाशन के लिए आयोग की अनुमति लेना (ख) डाटाबेस का अद्यतनीकरण और अनुपूरकों का मुद्रण	14.01.2021 (गुरुवार) तक
8.	निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन	15.01.2021 (शुक्रवार)

2. आयोग ने यह निर्णय लिया है कि यह पुनरीक्षण अर्हक तारीख के रूप में 01.01.2021 के संदर्भ में विशेष सार पुनरीक्षण होगा और अनुवर्ती सुसंगत अनुदेशों सहित निर्वाचक नामावली पर मैनुअल, 2016 में निहित उपबंधों के अनुसार उपर्युक्त अनुसूची के अनुरुप किया जाएगा।

3. मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुसूची का अवलोकन करेंगे और यदि उपर्युक्त अनुसूची में कोई मामूली परिवर्तन अपेक्षित हो तो इस पत्र के जारी होने की तारीख से सात दिनों के भीतर आयोग में संबंधित प्रादेशिक डिवीजन के प्रभारी सचिव/प्रधान सचिव से पूर्ण औचित्य के साथ अनुरोध किया जाना चाहिए। तदुपरांत, आयोग द्वारा अनुमोदित अनुसूची में कोई परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

4. पूर्व-पुनरीक्षण कार्यकलाप:-

4.1. चूंकि निर्वाचक नामावलियों का पुनरीक्षण वास्तव में निर्वाचक नामावलियों के प्रारूप प्रकाशन के साथ आरंभ होता है, इसलिए निर्वाचक नामावलियों का पुनरीक्षण वास्तविक रूप से शुरू होने से पहले विभिन्न पूर्व-पुनरीक्षण कार्यकलाप किए जाने अपेक्षित होते

हैं, जिसकी एक मात्र मंशा एकदम सटीक युक्त निर्वाचक नामावलियां प्राप्त करनी होती है। तदनुसार सीईओ निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा:-

क) किसी परिवार को खंडों में नहीं रखा जाता हो और सभी पंजीकृत पारिवारिक सदस्यों को एक ही खंड और एक ही स्थान में रखा जाता हो।

ख) जब कभी अपेक्षित हो, सही मकान संख्या प्रदर्शित करते हुए अनुभागों एवं भागों का उपयुक्त गठन और पुनर्गठन जी आई एस का प्रयोग करते हुए ईआरओ-नेट के माध्यम से किया जाएगा।

ग) ईआरओ-नेट का प्रयोग करते हुए भू-तल पर स्थित मतदान केन्द्रों की अवस्थिति भी सुनिश्चित की जाएगी।

घ) मतदान केंद्र में इस प्रकार आमेलित/संलग्न किए गए निर्वाचकों को दो किलोमीटर से अधिक दूर जाने और किसी प्राकृतिक बाधा को पार करने की आवश्यकता नहीं होती है।

ङ) प्ररूप-7 के माध्यम से बहुल प्रविष्टियों/मृत निर्वाचकों/स्थायी रूप से स्थानांतरित निर्वाचकों का नाम हटाना।

च) मतदान केन्द्रों का सत्यापन और राजनैतिक दलों के साथ परामर्श।

छ) डाटाबेस में छूटे हुए/भावी निर्वाचकों की प्रविष्टि करना।

4.2 प्रारूप प्रकाशन से पहले, सभी संगत त्रुटियों को दूर करने, जनसांख्यिकी रूप से सदृश और पतों का मानकीकरण करने एवं फोटोज की गुणवत्ता की जांच करने जैसे कार्य समयबद्ध रीति से पूरे किए जाएंगे। ईआरओ-नेट टीम द्वारा मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को जनसांख्यिकी रूप से सदृश, संगत त्रुटियों और गैर-विनिर्दिष्ट फोटोज की सूचियां उपलब्ध कराई जाएंगी। भारत निर्वाचन आयोग के ईआरओ-नेट टीम द्वारा संबंधित सीईओ को रीपीट/डुप्लीकेट के पूर्ण विविरणों की सॉफ्ट प्रति को भी भेजा जाएगा।

4.3 मतदान केन्द्रों का औचित्यकरण और अनुभागों का गठन:

(i) मतदान केंद्रों के औचित्यकरण का कार्यकलाप मतदान केंद्र की अवस्थिति का 100% भौतिक सत्यापन और निर्वाचक नामावलियों के अपेक्षित भागों के बाद की जाती है। हालांकि, कोविड-19 महामारी के कारण आयोग ने बीमारी के फैलाव से बचने के लिए इस कार्य का आयोजन करने में कुछ सावधानी बरतने का निर्णय लिया है। गैर-निर्वाचन वाले राज्यों में, पूर्ण रूप से औचित्यकरण के बजाय, मतदान केंद्रों के पुन: संगठन या पुन: व्यवस्थित करने का काम एक मतदान केंद्र पर असाइन किए गए अधिक से अधिक मतदाताओं को ध्यान में रखते हुए टेबल टॉप एक्सरसाइज़ के माध्यम से किया जा सकता है। भौतिक सत्यापन भी

केवल उन मामलों में किया जा सकता है जहां यह देखने में आया है कि जिस भवन में मतदान केंद्र स्थापित किया गया है वह क्षतिग्रस्त है या जीर्ण-शीर्ण स्थिति में है।

(ii) **निर्वाचनरत राज्यों में मतदान केन्द्र की अवस्थितियों के 100% भौतिक सत्यापन द्वारा मतदान केन्द्रों के औचित्यकरण के कार्यकलाप का आयोजन किया जाएगा**, ताकि यह मूल्यांकन किया जा सके कि मतदान के सुचारू रूप से संचालन के लिए क्या भवन उचित स्थिति में है या आयोग द्वारा निर्धारित अन्य मापदंडों को पूरा करता है। भौतिक सत्यापन का काम करने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा एक वरिष्ठ अधिकारी को नामित किया जाना चाहिए।

(iii) मतदान केन्द्र संबंधी मैनुअल, 2016 में निहित अनुदेशों के अनुसार नियत कार्यक्रम के अनुरूप और निर्वाचक नामावलियों के प्रारूप प्रकाशन से पहले मतदान केन्द्र का औचित्यकरण/संशोधन किया जाएगा। किसी भी नए मतदान केन्द्र का सृजन केवल अनुभागों को यथा संभव आस-पास के मतदान केन्द्रों के साथ औचित्यकरण करते हुए किया जाएगा।

(iv) मतदान केन्द्रों के औचित्यकरण का अन्य उद्देश्य परिवार के सभी सदस्यों और पड़ोसियों को एक ही भाग में इकट्ठा रखना तथा ईआर एवं एपिक में पतों की एकरूपता को बनाए रखना है।

(v) अनुभागों के उपयुक्त गठन के लिए निम्नलिखित इकाइयों का गठन किया जा सकता है:-

(क) एकल/आसन्न परिवार (पति, पत्नि और अर्हक बच्चे)

(ख) संयुक्त परिवार/कुंटुब (एक दूसरे से रिश्तेदारी रखने वाले और जो एक ही स्थान पर रहने वाले अनेक एकल परिवारों का समूह)

(ग) मकान/फ्लैट नम्बर

(घ) अनेक दरवाजे/फ्लैट वाले भवन/ब्लॉक/टावर

(ङ) गली

(vi) **आवासीय पतों का मानकीकरण**: नामावली तैयार करते समय निर्वाचकों के पते का मानकीकरण के लिए पतों के निम्नलिखित फील्ड अनुरक्षित किए जाएंगे:-

(क) मकान नं./फ्लैट नं./ दरवाजा नं. (घर का नाम, यदि उपलब्ध हो)*

(ख) मंजिल नं. (बहु-मंजिली इमारत के मामले में)

(ग) भवन सं./ब्लॉक नं./ टावर नं.(भवन का नाम, यदि उपलब्ध हो)

(घ) अपार्टमेंट नं.

(ङ) विंग

(च) वॉर्ड नं.*

(छ)गली/रोड/लेन*

(ज)सेक्टर

(झ) क्षेत्र/इलाका*

(ञ) लैंड मार्क, यदि कोई हो

(ट) ग्राम/कस्बा/शहर*

(ठ) उप-जिला/तहसील

(ड) जिला*

(ढ) राज्य*

(ण)पिन कोड*

(*) से चिन्हित किए गए क्षेत्रों को निर्वाचक विवरणों में अनिवार्य रूप से उल्लिखित किया जाना चाहिए, जबकि बाकी क्षेत्रों को वैकल्पिक क्षेत्रों के रूप में लिया जा सकता है और यथावाश्यक शामिल किया जा सकता है (जैसे शहरी क्षेत्रों में)। सीईओ/डीईओ अनिवार्य श्रेणी में अन्य क्षेत्रों को शामिल कर सकता है जैसे कि राज्य/जिलें मे प्रचलित है। जहां पंचायत/नगर पालिका द्वारा दिया गया, कोई मकान नं., उपलब्ध नहीं हो, वहां नामावली में काल्पनिक नम्बर दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में, यह अनिवार्य रूप से इंगित किया जाएगा कि यह मकान नम्बर काल्पनिक है। अनिवार्य पते से संबंधित विवरण का निर्वाचक नामावली में उल्लेख किया जाएगा और यह उसी प्रकार प्रतिबंधित होगा जैसाकि यह निर्वाचक के एपिक में है।

(vii) निर्वाचकों को मकान नम्बरों (इमारतों के तलों की संख्या) के अनुसार नामावली में अनुक्रम में व्यवस्थित किया जाएगा।

(viii) नया मतदान केन्द्र बनाते समय या अनुभागों का सृजन/विलय/पास के मतदान केन्द्रों के साथ मिलाकर वर्तमान मतदान केन्द्रों का पुनर्गठन करते समय निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति सुनिश्चित की जाएगी:-

(क) किसी परिवार को खंडों में अलग-अलग नहीं रखा जाता हो और परिवार के सभी सदस्यों को एक ही भाग और एक ही स्थान पर रखा जाता हो,

(ख) एक इमारत में रहने वाले निर्वाचकों को एक ही भाग में नामांकित किया जाता हो,

(ग) जहां तक संभव हो, गली में रहने वाले निर्वाचकों को एक ही भाग में नामांकित किया जाता हो, और

(घ) इस प्रकार आमेलित/संबद्ध मतदान केन्द्र के निर्वाचकों को दो किलोमीटर से अधिक दूरी तय नहीं करनी पड़े और किसी बाधा को पार नहीं करना पड़े।

4.4 डीएसई और एपिक की विसंगतियों को दूर करना:-

4.4.1 जनसांख्यिकी रूप से सदृश प्रविष्टियां निम्नलिखित प्रकार की होती हैं:-

(i) भाग के भीतर पुनरावृत्त निर्वाचक (एक ही जनसांख्यिकीय विवरण के साथ)।

(ii) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के भीतर पुनरावृत्त निर्वाचक (एक ही जनसांख्यिकीय विवरण के साथ सभी भागों में)।

(iii) राज्य के सभी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के पुनरावृत्त निर्वाचक (एक ही जनसांख्यिकीय विवरण के साथ सभी भागों में)।

(iv) देश के संपूर्ण विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के भीतर पुनरावृत्त निर्वाचक।

4.4.2 जनसांख्यिकी रूप से सदृश प्रविष्टियों को हटाना:-

(क) डीएसई को सॉफ़्टवेयर द्वारा नाम, संबंध प्रकार, संबंध नाम, लिंग, जन्म तिथि, आयु (सटीक/प्लस/माइनस 1 वर्ष) और पते के जनसांख्यिकीय विवरण के आधार पर दिखाया जाता है।

(ख) ईआरओ लॉगिन करेगा और प्रत्येक संभावित डीएसई की इमेज तुलना के माध्यम से अपने कंप्यूटर मॉनिटर पर टेबल टॉप सत्यापन करेगा। वह इस तरह की प्रविष्टियों को छांट कर और उन्हें 3 बकट- 'मैच/पॉजिटिव', 'नॉट मैच/नेगेटिव' और 'डाउटफुल' में डाल देगा।

(ग) संभावित डीएसई के संबंध में जहां एक से अधिक ईआरओ शामिल हैं, सभी संबंधित ईआरओ अपने विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित प्रविष्टियों के साथ-साथ अन्य विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में दोहराई जाने वाली प्रविष्टियों को देख सकेंगे और एक दूसरे के परामर्श से ईआरओ को निर्णय करना होगा कि उक्त डीएसई को किस बकेट में रखा जाना चाहिए।

(घ) डाटाबेस/यूएनपीईआर में 'नॉट मैच/नेगेटिव' प्रविष्टियाँ फ़्लैग की जाएंगी और भविष्य में उन्हें डीएसई के रूप में नहीं माना जाएगा। 'मैच/पॉजिटिव' और 'डाउटफुल' मामलों के लिए फील्ड सत्यापन बीएलओ चेकलिस्ट के माध्यम से किया जाएगा और ईआरओ द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

(ङ) जाँचकर्ताओं के माध्यम से बीएलओ क्षेत्र सत्यापन के बाद पाए गए 'सत्यापित सकारात्मक डीएसई और कई प्रविष्टियों के मामलों में, निर्वाचक का नाम उससे फॉर्म -7 प्राप्त करने के बाद उस स्थान से हटा दिया जाएगा जहां वह निवास नहीं कर रहा है। ऐसे फॉर्म-7 का रेफरेंस नंबर ईआरओ-नेट में दर्ज किया जाएगा। यदि संबंधित निर्वाचक फॉर्म-7 जमा करने से इनकार करते हैं, तो प्रस्तावित विलोपन के लिए सेवारत नोटिस की उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद, ईआरओ उसका नाम हटाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेगा।

(च) डीएसई/एक भाग के भीतर कई प्रविष्टियां/एक ईआरओ और सभी भागों के भीतर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र/एक से अधिक ईआरओ को शामिल करने वाले विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की विलोपन प्रक्रिया: -

- यदि संभावित डीएसई/कई प्रविष्टियां 'भाग के भीतर' अथवा 'विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के भीतर' से संबंध रखती हैं तो संबंधित ईआरओ द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
- संभावित डीएसई/कई प्रविष्टियों के मामले में, एक जिले में सभी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित होती हैं, संबंधित डीईओ निर्वाचन क्षेत्रों के सभी ईआरओ के साथ समन्वय करेंगे।
- यदि संभावित डीएसई/एकाधिक प्रविष्टियाँ पूरे जिलों में विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित हैं तो, संबंधित डीईओ डी-डुप्लीकेशन के अभ्यास का पर्यवेक्षण करेंगे।
- इसी प्रकार से, संभावित डीएसई/राज्यभर में विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित कई प्रविष्टियों के मामले में, संबंधित राज्यों के सीईओ को समन्वय करना होगा।
- ईआरओ के बीच/आपस के अंतर के मामले में, प्रत्येक ईआरओ द्वारा फील्ड सत्यापन अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए और तदनुसार हटाए जाने के लिए आगे की कार्रवाई की जानी चाहिए।
- एक मौका हो सकता है जब विभिन्न विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के बीएलओ अपने हिस्से में दिए गए पते पर सामान्य रूप से निवास करने वाले उक्त व्यक्ति को खोजने के बारे में रिपोर्ट कर सकते हैं। इस प्रकार के मामले में ईआरओ द्वारा सामान्य निवास की अपनी वास्तविक जगह सुनिश्चित करने के लिए व्यक्तिगत सुनवाई निर्धारित की जानी चाहिए।

4.4.3 एपिक में निम्नलिखित **प्रकार की विसंगतियां दी गई हैं**:-

(i) रीपीट एपिक। रीपीट एपिक दो प्रकार के होते हैं, जो नीचे दिए गए हैं:-

(क) एक ही निर्वाचक को कई एपिक नंबर जारी किए गए; और

(ख) कई निर्वाचक एक ही एपिक नंबर के साथ।

(ii) एपिक में 10 अंकों से अधिक अल्फ़ा-न्यूमेरिक संख्या होती है।

(iii) दो या उससे अधिक राज्यों के पास एपिक के लिए एक ही क्रम के अल्फ़ा-न्यूमेरिक प्रणाली को संबंधित राज्य के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में वितरित किया गया।

(iv) वे निर्वाचक जिन्हें एपिक जारी नहीं किए गए।

4.4.4 एपिक में विसंगतियों को दूर करना:-

(i) (क) एक ही निर्वाचक को जारी किए गए कई एपिक नंबरों के मामले में, वर्तमान एपिक नंबर को बरकरार रखा जाना चाहिए और कई प्रविष्टियों को हटाया जाना चाहिए।

(ख) एक ही एपिक नंबर के साथ कई निर्वाचकों के मामले में, पहले निर्वाचक को जारी किए गए एपिक नंबर को बरकरार रखना चाहिए और अन्य सभी निर्वाचकों को नए एपिक नंबर के साथ फ्रेश एपिक दिया जाएगा। इस तरह के निर्वाचकों से पुराने एपिक को एक उचित रिकॉर्ड रखने के बाद टुकड़ों में काटकर नष्ट कर दिया जाना चाहिए।

(ii) आयोग ने पहले से ही दिनांक 29.11.2019 के अपने पत्र के जरिए गैर-मानक एपिक नंबर को मानक 10-अंकीय अल्फ़ान्यूमेरिक संख्या में बदलने के लिए उचित मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। मामले में इसका पालन किया जाना चाहिए।

(iii) समान एपिक नंबर जो दो अलग-अलग राज्यों द्वारा उपयोग किए जा रहे हैं, उन्हें आईटी टूल्स का उपयोग करके पहचाना जा सकता है और संबंधित राज्यों को मानक एपिक नंबर बनाने के लिए आवंटित कोड का पालन करने के लिए कहा जा सकता है।

(iv) ऐसे निर्वाचकों का प्रतिशत बहुत कम है, जिन्हें निर्वाचक नामावली में कोई एपिक नंबर नहीं दिया गया है। उपलब्ध आईटी उपकरणों का उपयोग करके ऐसे निर्वाचकों को आसानी से पहचाना जा सकता है और उन्हें एपिक जारी किया जा सकता है।

5. **मसौदा प्रकाशन:** <u>अनुसूची में उल्लिखित पूर्व-संशोधन अभ्यास की सभी गतिविधियों</u> के पूरा होने के बाद ही मसौदा प्रकाशन किया जाएगा। निर्वाचक नामावली के मसौदा प्रकाशन के संबंध में निर्धारित प्ररुप 1-8 में निर्वाचकों की सूचना मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा उसकी सुविचारित टिप्पणियों और व्याख्यात्मक ज्ञापन मसौदा प्रकाशन से पहले आयोग को प्रस्तुत की जाएगी।

6. दावों और आपत्तियों की सूची का प्रदर्शन -

6.1 निर्वाचकों का रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 16 के अनुसार ईआरओ प्ररूप 9,10,11 और 11क में दावों और आपत्तियों की सूचियां तैयार करेंगे और ऐसी सूचियों की एक प्रति अपने कार्यालय में नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करेंगे। इसके अलावा, प्राप्त किए गए सभी दावों और आपत्तियों की सूची मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर डाली जानी चाहिए ताकि नागरिक सूची देख सकें और संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को आपत्ति दाखिल कर सकें। इसके अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा इस तथ्य के संबंध में पर्याप्त प्रचार किया जाए कि दावों और आपत्तियों की सूची उनकी वेबसाइट पर उपलब्ध है और इस सूची के आधार पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष आपत्तियां की जा सकती हैं। इसे राजनैतिक दलों के साथ बैठकें करके तथा लिखित सूचना भेजकर उन्हें भी बताना चाहिए।

6.2 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा सभी राजनैतिक दलों के दावों और आपत्तियों की सूची साप्ताहिक आधार पर उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। इस प्रयोजनार्थ, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को सभी राजनीतिक दलों की नियमित अंतराल पर बैठक बुलानी चाहिए और उन्हें दावों और आपत्तियों की सूची व्यक्तिगत रूप से सौंपनी चाहिए और पावती प्राप्त करनी चाहिए। यह भी जोड़ा जाए कि सूची संचयी न होकर बढ़ते हुए क्रम में होनी चाहिए।

7. दावों और आपत्तियों पर निर्णय - दावों और आपत्तियों पर केवल तभी निर्णय लिए जाने चाहिए जबकि निम्नलिखित में से सभी शर्तों का पालन कर दिया जाए-

(i) दावों और आपत्तियों की सूची को निम्नलिखित में सभी पर प्रकाशित होने के बाद कम से कम सात सुस्पष्ट दिन बीत गए हों -

(क) सीईओ की वेबसाइट, प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए क्लिक करने योग्य सूचियों के रूप में।
(ख) ईआरओ का नोटिस बोर्ड (आरईआर 1960 के प्ररूप 9,10,11 और 11क में)
(ग) मतदान केन्द्र का नोटिस बोर्ड (आरईआर 1960 के प्ररूप 9,10,11, और 11क में)
(घ) मृत्यु मामलों से इतर ऐसे सभी मामलों में उस व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत नोटिस तामील कर दिया गया हो जिसका नाम हटाए जाने का प्रस्ताव है।

(ii) राजनीतिक दलों को दावों और आपत्तियों की सूची दिए जाने के बाद कम से कम सात सुस्पष्ट दिन बीत गए हों।

8. नामों के विलोपन की प्रक्रिया :

8.1 पुनरावृतिक/बहुल प्रविष्टियां : व्यक्तिगत रूप से नागरिकों, राजनैतिक दलों के बूथ लेवल एजेंटों और आर डब्लू ए प्रतिनिधियों द्वारा रिपोर्ट की गई पुनरावृतिक/बहुल प्रविष्टियों के प्रत्येक मामले में फील्ड सत्यापन अवश्य किया जाना चाहिए। निर्वाचक से फॉर्म-7 प्राप्त कर लेने के पश्चात उसका नाम उस निर्वाचक नामावली से हटा दिया जाएगा जहां उसे साधारण रूप से रहते हुए नहीं पाया जाता है।

8.2 **जनसांख्यिकीय रूप से सदृश (डीएसई), स्थायी रूप से स्थानांतरित और मृत व्यक्ति:**

जनसांख्यिकीय रूप से सदृश, स्थायी रूप से स्थानांतरित और मृत व्यक्तियों के संबंध में पुष्ट मामलों को निर्वाचकों से फॉर्म-7 प्राप्त करने के बाद हटा दिया जाएगा (जनसांख्यिकीय रूप से सदृश, स्थायी रूप से स्थानांतरितों के मामले में) और (मृत व्यक्तियों के मामले में) उनके संबंधियों/परिवार के सदस्यों से फॉर्म-7 की प्राप्ति पर ही उनका नाम हटाया जाएगा। प्रविष्टियों को हटाने पर संबंधित व्यक्ति को नोटिस अवश्य दिया जाए।

8.3 गलत तरीके से किए गए विलोपनों के प्रति रक्षोपाय:

निर्वाचक नामावली से निर्वाचकों के गलत तरीके से किए गए विलोपनों को रोकने के लिए निम्नलिखित रक्षोपाय किए जाएंगे:-

(i) पंजीकृत मृत्यु के मामले में विलोपन केवल उचित सत्यापन/मृत्यु प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर किया जाएगा।

(ii) **ईआरओ- नेट में प्रावधान ऐसे मामलों में उपलब्ध करवाए जाएंगे जहां एईआरओ/ईआरओ द्वारा पारित विलोपनों के सभी आदेशों को उप जिला निर्वाचन अधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा इसे पब्लिक डोमेन में उपलब्ध करवाने से पहले और निर्वाचक नामावली में कार्यान्वित करने से पहले सत्यापित किया जाता है।**

(iii) मृत्यु और स्थानांतरण के आधार पर विलोपन, फॉर्म-7 प्राप्त करने पर ही किए जाएंगे ताकि गलत तरीके से किए जाने वाले विलोपनों से बचा जा सके।

(iv) फील्ड सत्यापन करते हुए बीएलओ स्थानांतरण/मृत्यु की स्थिति, यथामामला, पर रिपोर्ट में विशेष अम्युक्ति देंगे।

(v) स्थानांतरण के आधार पर विलोपन हेतु संबंधित निर्वाचक से फॉर्म-6 या फॉर्म-7 लिया जाएगा। नए स्थान पर नाम जोड़ने से पहले ईआरओ इस संबंध में पुष्टि करेंगे कि निर्वाचक वास्तव में अपने पुराने पते पर रहता था और उसका वही नाम है जैसा कि फॉर्म-6 में दिया गया है।

(vi) विलोपनों के लिए बीएलओ की रिपोर्ट आवश्यक होगी।

(vii) *मृत्यु संबंधी मामलों के अलावा, फॉर्म-7 के माध्यम से प्रस्तावित विलोपनों के सभी मामलों में संबंधित निर्वाचक को नोटिस जारी किया जाएगा और इसकी उसे विधिवत रूप से तामील की जाएगी। ऐसे मामलों में जहां निर्वाचक, निर्वाचक नामावली में दिए गए पते पर नहीं पाया जाता है तो कम से कम दो गवाहों की उपस्थिति में दीवार पर नोटिस चिपकाकर नोटिस को विधिवत रूप से जारी किया जाएगा, उक्त दोनों साक्ष्यों से नोटिस की प्रति पर हस्ताक्षर लिए जाएंगे और उन्हें निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा फाइल में रखा जाएगा ताकि निर्वाचकों का रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 21क के नियमों के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके और संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर दिए जाने का अनुपालन हो सके। केवल मृत्यु संबंधी मामलों में नोटिस की विधिवत रूप से तामील स्वरूप मृत्यु प्रमाणपत्र या संबंधियों, मित्रों अथवा पड़ोसियों का बयान स्वीकार किया जा सकता है।*

(viii) मृत्यु के आधार पर विलोपनों को छोड़कर, अन्य सभी विलोपनों का सत्यापन, फॉर्म-7 पर अंतिम आदेश पारित होने से पहले तहसीलदार/उप-तहसीलदार रैंक के अधिकारी के स्तर से कम द्वारा नहीं किया जाना चाहिए और कुल विलोपन (पद्धति द्वारा अक्रमिक रूप से चयनित) के 10% का सत्यापन क्षेत्रों में जाकर किया जाना चाहिए।

(ix) विलोपनों के सभी मामले, यदि वे निम्नलिखित में किसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं तो उनका निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा व्यक्तिगत रूप से सत्यापन किया जाएगा :-

(क) ऐसे मतदान केन्द्रों में विलोपन जहां विलोपनों की संख्या मतदान केन्द्रों की मतदाता सूची में कुल निर्वाचकों के 2% से अधिक है।

(ख) ऐसे विलोपन जहां एक ही व्यक्ति पांच से अधिक मामलों में आपत्तिकर्ता है।

(x) मृत्यु के आधार पर किए जाने वाले विलोपनों के अलावा, विलोपनों के सभी मामलों में आदेश पारित करने से पूर्व उनका पर्यवेक्षकों, एईआरओ और ईआरओ द्वारा सत्यापन किया जाना चाहिए।

9. पर्यवेक्षक/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा पर्यवेक्षण एवं जांच:-

9.1 निर्वाचक नामावली को त्रुटिरहित बनाने के प्रयोजनार्थ निर्वाचन आयोग ने बूथ स्तरीय अधिकारियों द्वारा फील्ड सत्यापन किए जाने की जरूरत पर बल दिया है। अपनाई जा रही सामान्य परिपाटी के अनुसार निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, उन्हें प्राप्त दावों और आपत्तियों का डिजीटलाइजेशन करने के बाद दावे या आपत्ति के संबंध में फील्ड सत्यापन करने के लिए संबंधित बूथ लेवल अधिकारी को तैनात करता है। बूथ लेवल अधिकारी मौके पर सत्यापन करने के बाद निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।

9.2 बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा निष्पादित कार्य की कड़ी जवाबदेही प्रवर्तित करने के लिए पर्यवेक्षण एवं जांच हेतु एक तंत्र विद्यमान है। पर्यवेक्षक, जिसके प्रभार के अधीन सामान्यतया 10 बूथ लेवल अधिकारी होते हैं, अपने अधीन काम करने वाले प्रत्येक बूथ लेवल अधिकारी के सत्यापन कार्य के 5% का सत्यापन करेंगे।

9.3 पर्यवेक्षकों के ऊपर प्रत्येक सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को, उसके अधीन विभिन्न भागों से यादृच्छिक रूप से चयनित बीएलओ के सत्यापन कार्य के 1% का सत्यापन करना चाहिए। सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को अपने प्रभार के अधीन 10 निर्वाचकों से अधिक गृहस्थियों; असामान्य लिंग अनुपात वाले और अनुवर्धनों या विलोपनों की अधिकतम संख्या वाले प्रथम 20 मतदान केन्द्रों की फील्ड जांच करेंगे। सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी निर्वाचक नामावलियों के ऐसे भाग पर, जिसमें पिछली निर्वाचक नामावली की तुलना में निर्वाचकों का प्रस्तावित अनुवर्धन 4% से अधिक हो, ध्यान केन्द्रित करते हुए अनुवर्धनों और विलोपनों के 1% की अलग से फील्ड जांच करेगें। उन मामलों में, स्वीकृत के साथ-साथ अस्वीकृत, दोनों मामलों की भी जांच की जानी चाहिए।

9.4 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अपने सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा दावों एवं आपत्तियों के निपटान की गुणवत्ता की नमूना-जांच करेंगे। वे सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा निस्तारित प्ररूपों के **10%** की जांच करेंगे। जहां आवश्यक समझा जाएगा, वहां फील्ड सत्यापन किया जाना चाहिए। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों, पर्यवेक्षकों और बूथ लेवल अधिकारियों के साथ नियमित अनुवीक्षण बैठकों का आयोजन करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि कार्य लापरवाही से न किया जा रहा हो। दोषी कर्मचारियों पर सख्ती की जानी चाहिए और सुधारात्मक उपाय तत्परतापूर्वक किए जाने चाहिए क्योंकि जवाबदेही अंततोगत्वा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की बनती है और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी त्रुटिमुक्त नामावली उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी होता है।

10. उप-जिला निर्वाचन अधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी/नामावली प्रेक्षक/मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा सुपर चेकिंग :-

10.1 एईआरओ/ईआरओ द्वारा आदेश पारित करने के पश्चात ईआरओ-नेट द्वारा यादृच्छिक रूप से चयनित प्रविष्टियों की एक विशेष संख्या के लिए डीईओ/डिप्टी डीईओ/नामावली प्रेक्षकों और सीईओ

द्वारा सत्यापित प्रविष्टियों की सुपर चेकिंग की जाएगी। उप जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी, नामावली प्रेक्षकों और मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा सत्यापित प्रविष्टियों की संख्या निम्नलिखित अनुसार है :

(i) डिप्टी डीईओ द्वारा जिले में 100 प्रविष्टियों का सत्यापन (40 शामिल किए गए नाम + 40 विलोपन + 20 संशोधन)। इन 100 प्रविष्टियों में से कम से कम 10 प्रविष्टियों का फील्ड सत्यापन अनिवार्य रूप से किया जाए। टेबल टॉप एक्सरसाइज़ के साथ-साथ फील्ड सत्यापन डिप्टी डीईओ द्वारा सत्यापित की जाने वाली प्रविष्टियों में पर्यवेक्षेकों, एईआरओ और ईआरओ द्वारा पहले से सत्यापित प्रविष्टियां अनिवार्य रूप से शामिल होंगी।

(ii) डीईओ द्वारा जिले में 50 प्रविष्टियों (20 शामिल किए गए नामों+20 विलोपनों+10 संशोधनों) का सत्यापन। इन 50 प्रविष्टियों में से कम से कम 05 प्रविष्टियों का फील्ड सत्यापन अनिवार्य रूप से किया जाए। टेबल टॉप एक्सरसाइज़ और फील्ड सत्यापन के माध्यम से डीईओ द्वारा सत्यापित की जाने वाली प्रविष्टियों में एईआरओ, ईआरओ और डिप्टी डीईओ द्वारा पहले से सत्यापित प्रविष्टियां अनिवार्य रूप से शामिल होंगी।

(iii) नामावली प्रेक्षक द्वारा विनिर्दिष्ट जिलों में प्रत्येक 50 प्रविष्टियों (20 शामिल किए गए नामों +20 विलोपनों+10 संशोधनों) का सत्यापन। इन 50 प्रविष्टियों में से कम से कम 05 प्रविष्टियों का फील्ड सत्यापन अनिवार्य रूप से किया जाए। टेबल टॉप एक्सरसाइज़ और फील्ड सत्यापन के माध्यम से नामावली प्रेक्षक द्वारा सत्यापित की जाने वाली प्रविष्टियों में एईआरओ, ईआरओ, डिप्टी डीईओ और डीईओ द्वारा पहले से सत्यापित प्रविष्टियां अनिवार्य रूप से शामिल होंगी।

(iv) मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा राज्य में 500 प्रविष्टियों (200 शामिल किए गए नामों+200 विलोपनों+100 संशोधनों) का सत्यापन। इन 500 प्रविष्टियों में से कम से कम 25 प्रविष्टियों का फील्ड सत्यापन अनिवार्य रूप से किया जाए। टेबल टॉप एक्सरसाइज़ और फील्ड सत्यापन द्वारा नामावली प्रेक्षक के द्वारा सत्यापित की जाने वाली प्रविष्टियों में डिप्टी डीईओ, डीईओ और नामावली प्रेक्षक द्वारा पहले से सत्यापित प्रविष्टियां अनिवार्य रूप से शामिल होंगी।

10.2 किसी निर्वाचक अधिकारी द्वारा चूक होने की स्थिति में सात दिनों के अंदर जिम्मेदारी तय की जाएगी।

10.3 21 वर्ष से अधिक आयु के आवेदकों से नव-पंजीकरण हेतु आवेदनों के लिए घोषणा या एपिक संख्या अनिवार्य रूप से ली जाएगी।

11. चिह्नित निर्वाचकों यथा: संसद सदस्य/विधान सभा सदस्य/विधान परिषद सदस्य, घोषित पदधारक और कला, संस्कृति, पत्रकारिता, खेल के क्षेत्रों की विभूतियों, न्यायपालिका और लोक सेवाओं के सदस्यों आदि को इंगित करना:

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि संसद एवं राज्य विधान-मंडलों के सभी सदस्यों, घोषित पदधारकों, कला, संस्कृति, पत्रकारिता, खेल के क्षेत्रों की विभूतियों, न्यायपालिका और लोक सेवाओं के सदस्यों के नाम प्रस्तावित प्रारूप निर्वाचक नामावली में रहें। ऐसे निर्वाचकों के नामों को भविष्य में गलत तरीके से विलोपित होने देने से बचाने के लिए निर्वाचकीय डाटाबेस में उपयुक्त फ्लैगिंग की जानी चाहिए।

12. निर्वाचक डाटाबेस में दिव्यांगजनों को फ्लैग किया जाना: चूंकि निर्वाचक नामावली में नामांकन के लिए प्ररूप-6 में नि:शक्तताओं के बारे में सूचना देने के लिए एक वैकल्पिक फील्ड है, इसलिए आयोग ने निदेश दिया है कि दिव्यांग निर्वाचकों, जिन्होंने प्ररूप 6 में ऐसी सूचना दी है, के सभी मामलों को नि:शक्तता की श्रेणी के साथ निर्वाचक डाटाबेस में इंगित किया जाना चाहिए ताकि ऐसे निर्वाचकों को मतदान के समय मतदान केन्द्र में आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जा सके। यह साफ तौर पर स्पष्ट किया जाता है कि नि:शक्तता की ऐसी सूचना किसी भी रीति से निर्वाचक नामावली में प्रतिबिंबित नहीं होनी चाहिए। संबंधित मुख्य निर्वाचन अधिकारी को राज्य में दिव्यांगजनों से संबंधित विभाग का सहयोग लेना चाहिए ताकि दिव्यांगजनों के मानचित्रण में उनकी सहायता प्राप्त की जा सके। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, यदि यह आवश्यक समझें तो वे निर्वाचकों, जो अपनी नि:शक्तताओं का प्रकटन करने के इच्छुक हैं, से दिव्यांगजनों के ऐसे आंकड़ों का संग्रहण करने के लिए घर-घर जाकर दौरा करने के दौरान बी.एल.ओ. की सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। साप्ताहिक प्रगति की समीक्षा करने के लिए इस संबंध में साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट राज्य के प्रभारी सचिव/प्रधान सचिव को भेजी जा सकती है।

13. मुख्य निर्वाचन अधिकारी अपनी स्वयं की टीम भी नामोद्दिष्ट कर सकते हैं या निर्वाचन आयोग से, आवश्यक समझे जाने पर, आगे और राज्य स्तरीय जांच करने के लिए टीम तैनात करने का अनुरोध कर सकते हैं। आखिरकार, यह कार्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी पर निर्भर करता है कि वह नामावलियों के प्रकाशन के लिए निर्वाचन आयोग का अनुमोदन प्राप्त करें और इसके लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी विहित फार्मेट (फार्मेट 1-8) में नामावलियों की राज्यव्यापी वस्तुस्थिति, नोटिस की गई भिन्नताओं, की गई सुधारात्मक कार्रवाई आदि पर एक विस्तृत रिपोर्ट देंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नामावली पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान की गई जांचों और किए गए पर्यवेक्षण का लेखा-जोखा भी उपलब्ध कराएंगे और नामावली की गुणवत्ता पर अपनी संतुष्टि स्वरूप एक प्रमाण-पत्र भी देंगे।

14. ईआरओ-नेट पर अनुवीक्षण: ईआरओ/डीईओ, ईआरओ-नेट डैशबोर्ड पर पुनरीक्षण से पहले और पुनरीक्षण अवधि के दौरान हुई प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ईआरओ/डीईओ द्वारा की गई रिपोर्टिंग का अनुवीक्षण एवं सत्यापन करेंगे। सभी संबंधितों द्वारा पूर्ण अनुपालन के लिए दोहराया जाता है कि ईआरओ-नेट डैशबोर्ड को नियमित तौर पर विजिट और सत्यापित किया जाएगा। संबंधित अधिकारी की ओर से की गई कोई भी चूक, उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाईयों का कारण बनेगी। संबंधित क्षेत्रीय प्रभागों के संबंधित सचिव/प्रधान सचिव और उप-निर्वाचन आयुक्त इस प्रक्रिया का अनुवीक्षण करेंगे और पाक्षिक आधार पर आयोग को रिपोर्ट भेजेंगे। वे प्रत्येक पुनरीक्षण से पहले और पुनरीक्षण अवधि के दौरान कम से कम एक बार अपने प्रभार वाले राज्यों का क्षेत्र भ्रमण करेंगें।

15. प्रेक्षण:- डिवीजनल आयुक्तों, जो अपने डिवीजनों के भीतर समाहित जिलों के लिए निर्वाचक नामावली प्रेक्षकों के तौर पर काम करेंगे, के अलावा आयोग पुनरीक्षण प्रक्रिया की औचक जांच, लेखा-परीक्षा और पर्यवेक्षण करने के लिए अपने प्रेक्षकों/भारत निर्वाचन आयोग के अधिकारियों/नामावली लेखा-परीक्षकों को तैनात कर सकता है। इसलिए, यह अति आवश्यक है कि सभी नामावली संबंधी अभिलेख, जिनमें प्रगति की रिपोर्टों के साथ-साथ लोकेशनों की वे सूचियां शामिल हैं जिनमें फील्ड कार्य प्रगति पर हैं, अद्यतन रखे जाने चाहिए और प्रेक्षकों को उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

16. राजनैतिक दलों के साथ बैठक और निर्वाचक नामावलियों को साझा करना: (i) सभी जिला निर्वाचन अधिकारी और मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजनैतिक दलों की बैठकें अलग से बुलाएंगे और कार्यक्रम का ब्यौरा देंगे और प्रारूप प्रकाशन की तारीख से पहले उनसे अपेक्षित सहयोग की मांग करेंगे। प्रारूप प्रकाशन समुचित प्रचार-प्रसार के साथ अनुमोदित तारीख पर किया जाना चाहिए और प्रारूप नामावलियों की प्रतियां प्रेस और मीडिया की उपस्थिति में सार्वजनिक बैठक में मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलों को सौंपी जानी चाहिए। किसी भी दशा में, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से उपयुक्त पावती रसीद अवश्य प्राप्त की जानी चाहिए और अभिलेख में रखी जानी चाहिए।

(ii) मुख्य निर्वाचन अधिकारी को सभी मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्यस्तरीय राजनैतिक दलों को, उन्हें विधि के महत्वपूर्ण बिंदुओं और पुनरीक्षण की कार्यविधियों से अवगत कराते हुए, लिखित में सूचित करना चाहिए और नामावली पुनरीक्षण कार्य में उनका सहयोग मांगना चाहिए। उन्हें निर्गत पत्र की एक प्रति आयोग को, अभिलेख के निमित्त, पृष्ठांकित की जानी चाहिए।

(iii) ईआरओ द्वारा दावों एवं आपत्तियों की सूची भी सभी राजनैतिक दलों को साप्ताहिक आधार पर उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

(iv) निर्वाचकों का रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 11(ग) और 22(ग) के उपबंधों के अनुसार प्रारूप एवं अंतिम प्रकाशन के तुरंत बाद प्रारूप निर्वाचक नामावलियों और अंतिम निर्वाचक नामावलियों के सम्पूर्ण सेट की दो प्रतियां मान्यताप्राप्त राजनैतिक दलों को नि:शुल्क उपलब्ध कराई जानी चाहिए (कृपया इस मामले में विस्तृत दिशा-निर्देशों के लिए निर्वाचक नामावली मैनुअल, 2016 के अध्याय 25 का पैरा 25.3 देखें)।

(v) मुख्य निर्वाचन अधिकारी मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलों से अनुरोध करेंगे कि वे प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) की पहचान एवं नियुक्ति करें जिन्हें पुनरीक्षण अवधि के दौरान बीएलओ के साथ सम्बद्ध किया जाएगा। बीएलओ संबंधित राज्य के मान्यताप्राप्त राजनैतिक दलों के बीएलए के साथ प्रारूप निर्वाचक नामावली की जांच परख करेंगे और संशोधनों, आदि की पहचान करेंगे। यह उल्लेख करना उपयुक्त है कि मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल से एक बार नियुक्त बीएलए तब तक बीएलए के रूप में काम करते रहेंगे जब तक कि उनकी नियुक्ति संबंधित राजनीतिक दल द्वारा निष्प्रभावी/प्रतिसंहरित न कर दी जाए।

(vi) राजनैतिक दलों की और अधिक सहभागिता सुनिश्चित करने के दृष्टिगत आयोग ने मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलों के बीएलए को इस शर्त के अधीन थोक में आवेदन दायर करने की अनुमति दी है कि एक बीएलए एक समय/एक दिन में बीएलओ को 10 से अधिक फार्म प्रस्तुत नहीं करेंगे। यदि बीएलए दावे एवं आपत्तियों को दायर करने की सम्पूर्ण अवधि के दौरान 30 से अधिक आवेदन फार्म प्रस्तुत करता है तो ईआरओ/एईआरओ द्वारा अपने आप प्रति-सत्यापन अवश्य किया जाना चाहिए। इसके अलावा बीएलए इस घोषणा के साथ आवेदन-फार्मों की एक सूची भी प्रस्तुत करेंगे कि उसने आवेदन फार्मों के विवरणों का व्यक्तिगत रूप से सत्यापन कर लिया है और इस बात के प्रति संतुष्ट है कि वे सही हैं।

17. पारदर्शिता उपाय: हितधारकों को सुविधा प्रदान करने और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया में और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए प्रारूप निर्वाचक नामावली, अंतिम निर्वाचक नामावली, दावों एवं आपत्तियों की सूची को सीईओ की वेबसाइट पर डालने और उसे मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलों के साथ साझा करने के अलावा सीईओ की वेबसाइट पर दिन-प्रति-दिन आधार पर प्ररूप 6, 6क, 7, 8 एवं 8क में प्राप्त सभी आवेदन फार्मों के कम्प्यूटरीकरण और प्रविष्टिकरण की रीति जारी रहेगी। ईआरओ-नेट से पुनरीक्षण के दौरान प्राप्त दावों और आपत्तियों के निपटान की वस्तुस्थिति पर सीईओ एक रिपोर्ट निकालेंगे और उसे साप्ताहिक आधार पर अपनी वेबसाइट पर सामान्य जनता/नागरिकों के सूचनार्थ डालेंगे।

18. प्रचार-प्रसार:- सार पुनरीक्षण कार्यक्रम के संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारियों और मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा पर्याप्त प्रचार-प्रसार एवं जागरूकता अभियान सुनिश्चित किए जाएंगे। सभी जिला निर्वाचन अधिकारी और मुख्य निर्वाचन अधिकारी पुनरीक्षण कार्यक्रम का मीडिया, राजनीतिक दलों एवं सामाजिक संगठनों/आरडब्ल्यूए में उपयुक्त रूप से प्रचार-प्रसार करवाएंगे और निर्वाचक नामावलियों के प्रारूप प्रकाशन की तारीख से काफी पहले निर्वाचकों/पात्र आबादी तक अनन्य रूप से पहुंचेंगे। प्रारूप नामावलियों के प्रकाशन को प्रभावी बनाने के प्रयोजनार्थ स्वीप कार्यक्रमों की श्रृंखला, तालुक, जिला एवं राज्य स्तरों पर राजनीतिक दलों के साथ बहुल एवं आवधिक बैठकों और नियमित प्रेस बैठकों का आयोजन किया जाए।

19. नामावली का एकीकरण:- निर्वाचन वर्ष के दौरान विभिन्न स्तरों पर निर्वाचक नामावलियों के एकीकरण, उसमें अशुद्धियां दूर करने और उसके मुद्रण के संबंध में आयोग के दिनांक 25 सितंबर, 2018 और 14 फरवरी, 2019 एवं 30 जुलाई, 2020 के पत्र के द्वारा विस्तृत अनुदेश जारी किए गए हैं और संशोधनों के विद्यमान दौर के दौरान इनका निष्ठापूर्वक पालन किया जाएगा। **निर्वाचक नामावलियों की प्रिंटिंग अब से केवल ईआरओ-नेट के माध्यम से ही की जाएगी।**

जहां तक निर्वाचक नामावलियों के एकीकरण का संबंध है, यह स्पष्ट किया जाता है कि:-

(i) एसएसआर, 2021 के लिए मूल नामावली प्रकाशित करने के प्रारूप के प्रकाशन के समय, एसएसआर-2020 की मूल नामावली (प्रारूप नामावली), और किए गए सतत अद्यतन के साथ 1 अनुपूरक (एसएसआर, 2021 की मूल (प्रारूप) निर्वाचक नामावली के प्रकाशन तक तैयार) को एकत्रित किया जाएगा और परिवार के सदस्यों को एक साथ लाते हुए मिला दिया जाएगा। एसएसआर-2021 की उपर्युक्त मूल नामावली (प्रारूप) को पुन: क्रमांकित करते हुए सभी प्रविष्टियों का कार्य विलोपित प्रविष्टियों को हटाने और परिवार के सदस्यों की प्रविष्टियों का एकीकरण करने के बाद किया जाएगा। यद्यपि, एसएसआर-2021 के लिए अनुवर्धन, विलोपन और संशोधन संबंधी अनुपूरक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के द्वारा ईआरओ-नेट के माध्यम से तैयार किए जाएंगे और केवल भावी संदर्भों के लिए रिकार्ड में रखे जाएंगे।

(ii) आयोग के विद्यमान अनुदेशों के अनुसार, एसएसआर-2021 के अंतिम प्रकाशन के समय, अंतिम नामावली के रूप में केवल एक ही नामावली होगी जिसमें मूल नामावली की अंतिम प्रविष्टि के बाद क्रम संख्या सहित सभी अनुवर्धन प्रविष्टियां अनुक्रमण में आएंगी और आयोग के वर्तमान अनुदेशों के अनुसार, संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान समस्त संशोधन और

विलोपन स्वयं मूल नामावली में प्रतिबिंबित होंगे। अनुवर्धन, विलोपन और संशोधन की कोई भी सूची अलग से प्रिन्ट नहीं की जाएगी और न ही राजनैतिक दलों को दी जाएगी, यद्यपि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी इन सूचियों को ईआरओ-नेट से ही निकालेगा और इन्हें भावी संदर्भ के लिए रखेगा।

(iii) (क) नाम निर्देशन की अंतिम तिथि को निर्वाचक नामावली (निर्वाचन होने की स्थिति में), राजनैतिक दलों को देने के लिए तैयार करते समय और चिह्नित प्रति/वर्किंग प्रति तैयार करने के लिए, निर्वाचक नामावली एक समेकित नामावली होगी, यद्यपि इसमें परिवार के सदस्यों की बंडलिंग नहीं होगी तथा उसे पुन: क्रमांकित नहीं किया जाएगा। सतत अद्यतन करने से लेकर नाम निर्देशन करने की अंतिम तारीख (निर्वाचन होने की स्थिति में) तक किए गए सभी अनुवर्धनों को अंतिम नामावली में सभी विलोपनों और संशोधनों को चिह्नित करते हुए अंतिम नामावली में अंतिम प्रविष्टि की अगली क्रम संख्या से प्रारंभ करके सतत क्रम सख्या देते हुए कालानुक्रमिक क्रम में रखा जाएगा, जैसा आयोग के विद्यमान अनुदेशों में निदेश दिया गया है। अनुवर्धन, विलोपन और संशोधन की कोई भी सूची अलग से प्रिन्ट नहीं की जाएगी और न राजनैतिक दलों को दी जाएगी, यद्यपि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी इन सूचियों को ईआरओ-नेट से ही निकालेगा और इन्हें भावी संदर्भ के लिए रखेगा।

(ख) संशोधन/सतत अद्यतन की अवधि के दौरान की गईं सभी प्रविष्टियों, शुद्धियों को (# या ## जैसा भी मामला है) के संकेत के साथ प्रविष्टि को संशोधित किया गया है, यह इंगित करने के लिए समेकित नामावली में ही परिलक्षित किया जाएगा। किए गए किसी भी संशोधन के मामले में पुरानी प्रविष्टियों के स्थान पर संशोधित प्रविष्टियों को समेकित नामावली में परिलक्षित किया जाएगा और संशोधनों की सूची (भविष्य के संदर्भ के लिए ईआरओ के साथ रखी जाएगी) में पुरानी प्रविष्टियां होंगी, जिसमें जब भी आवश्यक हो बदलाव पर नज़र रखने के लिए संशोधन किए गए हैं।

20. अंतिम प्रकाशन के लिए आयोग का अनुमोदन:-

(i) मुख्य निर्वाचन अधिकारी निर्वाचक नामावलियों के अंतिम प्रकाशन के लिए आयोग से पूर्व लिखित अनुमोदन प्राप्त करेंगे और मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा इस प्रयोजन हेतु एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा कि मृत/जनसांख्यिकी रूपी से सदृश/स्थानांतरित/पंजीकृत मृत और गैर-रजिस्टर्ड निर्वाचकों की गणना की जा चुकी है और संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा उन्हें हटा दिया गया है, समस्त संगत त्रुटियां दूर की जा चुकी है और 100% एपिक और फोटो निर्वाचक नामावलियों में 100% फोटोज को शामिल कर लिया है।

(ii) मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा फार्मेट 1-8 के साथ आयोग को इस आशय का अनुरोध **07 जनवरी, 2019** तक किया जाएगा और फार्मेट 1-8 के साथ ज्ञापन/नोट के जरिए अनिवार्यत: यह भी उपलब्ध कराया जाएगा कि नामावली पुनरीक्षण प्रक्रिया से संबंधित निर्धारित लक्ष्यों को किस प्रकार पूरा किया गया और अगले सतत अद्यतनीकरण के दौरान कमियों, यदि कोई हों, को पूरा

करने के लिए क्या कार्यनीति अपनाई जाएगी। इसे किसी भी हाल में अंतिम प्रकाशन की तारीख से कम से कम 5 दिन पहले कर लेना चाहिए ताकि अंतिम प्रकाशन से कम से कम 3 दिन पहले आयोग की अनुमति संसूचित की जा सके।

(iii) यह स्पष्ट किया जाता है कि प्ररूप 1 से 8 ईआरओ-नेट के माध्यम से निकाले जाएंगे। इसके लिए जिला निर्वाचन अधिकारी, एसएसआर, 2020 के दौरान प्रविष्ट किया गया आयु-समूहवार की अनुमानित जनसंख्या के डाटा को तत्काल अद्यतित किया जाएगा।

21. इसके अतिरिक्त, यह भी नोट कर लिया जाए कि पुनरीक्षण के संबंध में सभी पत्र-व्यवहार तथा सष्टीकरण भारत निर्वाचन आयोग के प्रधान सचिव/सचिव (राज्यों/संघ शासित क्षेत्र के प्रभारी) को संबोधित किए जाएंगे जो कि न केवल संबंधित मुख्य निर्वाचन अधिकारी को अविलंब जवाब देंगे परंतु यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उनके प्रभार के अधीन आने वाले राज्यों के नामावली पुनरीक्षण कार्यक्रम में कोई कमी नहीं रहे। वे बहुत सूक्ष्मता से पुनरीक्षण-पूर्व क्रियाकलापों तथा अपने संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के नामावली पुनरीक्षण कार्यक्रम का अनुवीक्षण करेंगे, इसलिए मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को नियमित अंतराल पर, पुनरीक्षण प्रक्रिया पर अपेक्षित प्रगति रिपोर्ट अग्रेषित करते रहनी चाहिए।

22. मुख्य निर्वाचन अधिकारियों और सभी अधिकारियों से यह भी अनुरोध है कि वे सम्प्रेषण के शीघ्र एवं सटीक आदान-प्रदान हेतु ई-मेल सुविधा का बड़े पैमाने पर उपयोग करें।

23. इस पत्र की एक प्रति, तत्काल उपयुक्त आवश्यक कार्रवाई करने के लिए, राज्य में सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को भी परिचालित की जानी चाहिए।

कृपया पावती दें।

भवदीय,

(नरेन्द्र ना. बुटोलिया)
वरिष्ठ प्रधान सचिव